समाहरणालय, बेगूसराय

(जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय)

आदेश

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के शैक्षणिक स्तर में वृद्धि कर विकास की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु राज्य सरकार द्वारा "मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन" योजना संचालित की गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्रथम श्रेणी में इंटर परीक्षा 2014 में उत्तीर्ण 548 छात्राओं प्रति छात्रा 15000/--(पन्द्रह हजार रूपये) के लिए कुल मो0 82,20,000/--(बेरासी लाख बीस हजार रूपये) द्वितीय श्रेणी में इंटर परीक्षा 2014 में उत्तीर्ण 308 छात्राओं प्रति छात्रा 10,000/--(दस हजार रूपये) को मो0 30,80,000/--(तीस लाख अस्सी हजार रूपये) मैट्रिक द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण 1910 छात्र/छात्राओं प्रति छात्र/छात्रा 8000/--(आठ हजार रूपये) को मो0 1,52,80,000/--(एक करोड़ बावन लाख अस्सी हजार रूपये) के लिए कुल 2,65,80,000/--(दो करोड़ पैंसठ लाख अस्सी हजार रूपये) का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसका वितरण प्रखंडवार शिविर लगाकर निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा।

केन्द्र प्रायोजित प्री मैट्रिक छात्रवृति 2015–16 से छात्रवृति का आवेदन कक्षा 1–8 तक के छात्र के इच्छानुसार ऑफलाइन दोनों तरीके से ही किया जाएगा। साथ ही कक्षा 9–10 के छात्रों को प्री मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत अपना आवेदन अनिवार्य रूप से ऑनलाईन ही भरना है। सरकार के प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पत्रांक 461 दिनांक 25.05.2015 द्वारा प्राप्त निदेश के अनुसार इस नई प्रकिया का प्रचार प्रसार हेतु प्रखंड वार बैठक आयोजित की जानी है।

दोनों योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन तथा ससमय वितरण सुनिश्चित करने हेतु तथा निहित विभागीय निदेश का अनुपालन हेतु निम्नलिखित निदेश दिए जाते है:–

जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय को निदेश दिया जाता है कि संबंधित प्रखंड अंतर्गत विद्यालय के प्रधानाध्यापक को छात्र/छात्राओं की सूची शीघ्रातिशीघ्र हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि वे निर्धारित तिथि एवं समय पर अपने प्रखंड में आयोजित शिविर में छात्र/छात्राओं के साथ पहुँच कर उनकी पहचान करते हुए चेक प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करेगें। सभी लाभार्थी अपने साथ अंक पत्र तथा प्रवेश पत्र की मूल तथा अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ शिविर में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। पहचानकर्त्ता के रूप में संबंधित प्रधानाध्यापक अथवा उनके द्वारा अधिकृत शिक्षक शिविर में उपस्थित रहेंगे।

संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड परिसर में निर्धारित शिविर के स्थल चयन (टी0सी0पी0 भवन/सभागार) इत्यादि संबंधी निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 14 अंतर्गत वितरण कार्यक्रम के सफल कियान्वयन हेतु संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी वितरण तिथि को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साथ शिविर में उपस्थित रहेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा सभी संबंधित विद्यालय के प्रधान को निर्धारित वितरण शिविर में अपने विद्यालय के चयनित छात्र के साथ उपस्थिति हेतु अपने स्तर से सूचित करना सुनिश्चित करेगें। वर्षा के मौसम को देखते हुए शिविर में कुर्सी, पंखे, पानी एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था भी प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। वितरण शिविर संबंधी कार्यवाही एवं दिशा निदेशो के संबंध में संचालन पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, बेगूसराय होगें।

प्री मैट्रिक प्रशिक्षण शिविर कार्यकम में सभी प्राथमिक, मध्य, उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा संबद्धता प्राप्त/ मान्यता प्राप्त/प्रस्वीकृत प्राप्त निजी विद्यालय/मदरसा के प्रधान भी प्रशिक्षण में उपस्थित रहेंगे। सभी संबंधितों को इस बात संसूचित करने का कार्य जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय अपने संसाधनों के द्वारा करेंगे। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय जिला भी समरूप कार्रवाई कर प्री मैट्रिक 15–16 से संबंधित प्रशिक्षण कार्यकम एवं प्रोत्साहन राशि के वितरण की सूचना संबंधित प्रधानाध्यापक को देंगे।

मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थियों के निर्धारित प्रोत्साहन राशि का वितरण प्रखंडवार किया जाएगा तथा प्री मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति 2015–16 के लिए प्रखंडवार सूचना/प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रोत्साहन राशि के वितरण एवं प्री मैट्रिक छात्रवृति 2015–16 अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यकम निम्नरूपेण समयबद्ध किया जाता है:–

कमांक	प्रखंड का नाम	वितरण केन्द्र/प्रशिक्षण केन्द्र	वितरण तिथि	समय	प्री मैट्रिक अंतर्गत प्रशिक्षण तिथि	प्रशिक्षण का समय
1	2	3	4	5	6	7
1	बेगूसराय	टाउन हॉल	15.07.2015	10.00 पूर्वा0	15.07.2015	12.00 अपराह्न
2	मटिहानी/साम्हो अकहा कुरहा	प्रखंड परिसर मटिहानी	15.07.2015	02.00 अपराह्न	15.07.2015	04.00 बजे अपराह्न
3	बलिया/डंडारी	पी0डी0एस0के0 सदानंदपुर बलिया	16.07.2015	10.00 पूर्वा0	16.07.2015	12.00 अपराह्न
4	सा0कमाल	प्रखंड परिसर	16.07.2015	02.00 अपराह्न	16.07.2015	04.00 बजे अपराह्न

5	मंसूरचक	प्रखंड परिसर	22.07.2015	10.00 पूर्वा0	22.07.2015	12.00 अपराह्न
6	बछवाड़ा	प्रखंड परिसर	22.07.2015	02.00 अपराह्न	22.07.2015	04.00 बज अपराह्न
7	बरौनी	प्रखंड परिसर	23.07.2015	10.00 पूर्वा0	23.07.2015	12.00 अपराह्न
8	तेघड़ा	प्रखंड परिसर	23.07.2015	02.00 अपराह्न	23.07.2015	04.00 बज अपराह्न
9	खोदावंदपुर	प्रखंड परिसर	24.07.2015	10.00 पूर्वा0	24.07.2015	12.00 अपराह्न
10	छौड़ाही	प्रखंड परिसर	24.07.2015	02.00 अपराह्न	24.07.2015	04.00 बज अपराह्न
11	नावकोठी	प्रखंड परिसर	25.07.2015	10.00 पूर्वा0	25.07.2015	12.00 अपराह्न
12	चे0 बरियापुर	प्रखंड परिसर	25.07.2015	02.00 अपराह्न	25.07.2015	04.00 बज अपराह्न
13	भगवानपुर	प्रखंड परिसर	27.07.2015	10.00 पूर्वा0	27.07.2015	12.00 अपराह्न
14	वीरपुर	प्रखंड परिसर	27.07.2015	02.00 अपराह्न	27.07.2015	04.00 बज अपराह्न
15	बखरी	प्रखंड परिसर	28.07.2015	10.00 पूर्वा0	28.07.2015	12.00 अपराह्न
16	गढ़पुरा	प्रखंड परिसर	28.07.2015	02.00 अपराह्न	28.07.2015	04.00 बज अपराह्न

8/7/15

जिला पदाधिकारी,
बेगूसराय।

ज्ञापांक 283 /अ0क0, दिनांक 08.07.15/

प्रतिलिपिः— सभी संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय जिला को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि अपने प्रखंड के सभी मान्यता प्राप्त/प्रस्वीकृत प्राप्त निजी/सरकारी विद्यालय क प्रधानाध्यापक एवं प्रधान मौलवी को वितरण से संबंधित शिविर एवं प्री मैट्रिक अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु अचूक रूप से अपने स्तर से सूचना देना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः— डी0आई0ओ0 एन0आई0सी0, बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है के आदेश पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक सूची को जिला वेवसाईट पर करेन्ट न्यूज सेक्शन अपलोड करना सुनिश्चित करेगें।

D:\MVPC 2nd DIV 2014\Office order Sedual 2.docx

लिपिः– जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला कल्याण पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि चेक वितरण हेतु अपेक्षित संख्या में पर्यवेक्षक/कर्मियों की प्रतिनियुक्ति किया जाना सुनिश्चित करेगें तथा प्रोत्साहन राशि वितरण में अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, बेगूसराय को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगें।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस संदर्भ की सूचना सभी प्रमुख उर्दू एवं हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में शीघ्र दिया जाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेगूसराय जिला को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि चेक वितरण हेतू अपेक्षित संख्या में कर्मियों की प्रतिनियुक्ति किया जाना सुनिश्चित करेगें तथा प्रोत्साहन राशि वितरण में सहयोग करेगें।

प्रतिलिपिः– संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय जिला को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि शिविर में विधि व्यवस्था का प्रबंध करना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपिः– विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त, बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिंपिः– प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

8/7/15

जिला पदाधिकारी,
बेगूसराय।

D:\MVPC 2nd DIV 2014\Office order Sedual 2.docx